

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. PMLA - एक कानून जो अपना रास्ता खो चुका है (GS PAPER III: आंतरिक सुरक्षा)
2. नो मैन्स लैंड: कच्चाथीवु पर राजनीति करना (GS PAPER II: भारत-श्रीलंका संबंध)
3. सौर ऊर्जा: आयातित सौर पैनलों से दूर जाना (GS PAPER III: एस एंड टी, पर्यावरण)
4. चुनावों में एआई, अच्छा, बुरा और बदसूरत (GS PAPER III: एस एंड टी का उपयोग)
5. एक भाषण जिसने भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया (GS PAPER II: परमाणु निरस्त्रीकरण, स्वतंत्रता के बाद का भारत, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता)

Centre and Cong. spar over Katchatheevu issue

PM and External Affairs Minister flay Congress regimes for indifference towards the island

Congress quotes Centre's 2015 RTI reply, which stated that the island lies on the 'Sri Lankan side'

Opposition leaders ask if the 'change of stance' by Modi govt. is related to 'election politics'

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The controversy over India "ceding" the island of Katchatheevu to Sri Lanka in 1974 escalated on Monday after Prime Minister Narendra Modi flagged news reports on the issue for the second day and External Affairs Minister S. Jaishankar declared that previous Congress governments had given away the rights of Indian fishermen in that area.

Hitting back, the Congress quoted the government's Right to Information (RTI) reply on the issue in 2015, which said the island was situated on "the Sri Lankan side of the International Maritime

Boundary Line". Mr. Modi, in a post on X, flagged a second news report on the issue that said the DMK, under then Tamil Nadu Chief Minister M. Karunanidhi, was kept in the loop when the Union government decided on ceding Katchatheevu to Sri Lanka.

PM questions DMK "Rhetoric aside, DMK has done NOTHING to safeguard Tamil Nadu's interests. New details emerging on #Katchatheevu have UNMASKED the DMK's double standards totally. Congress and DMK are family units. They only care that their own sons and daughters rise. They don't care for anyone else. Their callousness on Katchatheevu has harmed the inter-



The Congress and DMK raised the issue in Parliament as if they bear no responsibility for it, while they are the parties which did it

S. JAISHANKAR, External Affairs Minister



Will Foreign Minister Mr. Jaishankar please refer to the RTI reply dated 27-1-2015... the reply justified the circumstances under which India acknowledged that a small island belonged to Sri Lanka

P. CHIDAMBARAM, Congress leader

ests of our poor fishermen and fisherwomen in particular," Mr. Modi said in his post. Mr. Jaishankar, in his press conference at the BJP's headquarters on Monday, said it was wrong to say that the ceding of

Katchatheevu was an "old issue" that was being resurrected keeping the Lok Sabha election in mind. "It has been frequently raised in Parliament and has been a matter of frequent correspondence between the

Revisiting pact could affect ties: former diplomats

NEW DELHI

Any move by the government to revisit the 1974 India-Sri Lanka agreement on Katchatheevu island could have a broader diplomatic impact on India's ties in the region and raise questions about other bilateral negotiations, warned former diplomats. » PAGE 4

displayed indifference towards Katchatheevu island and gave away Indian fishermen's rights despite legal views to the contrary. Referring to documents obtained by BJP's Tamil Nadu chief K. Annamalai under the RTI Act, Mr. Jaishankar said that while the 1974 pact ensured fishing rights for Indian fishermen, a 1976 agreement between India and Sri Lanka ended them. "We know who did it, today we are looking for who hid it," he said.

Responding to the Minister's statement, Opposition said the 2015 RTI response of the Ministry clearly stated that previous agreements did not "involve either acquiring or ceding of territory belong-

ing to India". Opposition leaders asked if the "change of stance" by the Narendra Modi government was related to "election politics". "Tit for tat is old. Tweet for Tweet is the new weapon. Will Foreign Minister Mr. Jaishankar please refer to the RTI reply dated 27-1-2015... The Reply justified the circumstances under which India acknowledged that a small island belonged to Sri Lanka." former Finance Minister P. Chidambaram said in a post on X. Former Union Minister Anand Sharma said India's strategic interests and relationship with neighbours must not be lost to electoral narrative.

'NO BIG CATCH'
» PAGE 5

- मुंडक्कल को भारत की काजू प्रसंस्करण गतिविधियों की राजधानी के रूप में जाना जाता है, केरल राज्य काजू विकास निगम लिमिटेड (केएससीडीसी) और काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) जैसे महत्वपूर्ण संगठनों का मुख्यालय वहां है।
- मुंडक्कल कोल्लम के भीतर भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, विशेष रूप से एक संपन्न समुद्र तट के निकट होने के कारण।
- कार्किंडाका के दौरान समुद्र तट विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है ववुबली उत्सव, जहां हजारों भक्त ववुबली करने के लिए इकट्ठा होते हैं तर्पणम अनुष्ठान.
- ववुबली एक महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान है जो केरल में कार्किंडकम महीने के दौरान मनाया जाता है, जहां लोग दिवंगत आत्माओं को बाली (अनुष्ठान प्रसाद) चढ़ाते हैं।
- पुरुष, महिलाएं और बच्चे ववुबली अनुष्ठान में भाग लेते हैं, जो केरल में सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है।



Skeletal structure: Houses destroyed by a sea surge on Monday at Mundakkal in Kollam, Kerala. C. SURESHKUMAR

Supreme Court allows Hindu worship to continue inside Gyanvapi premises

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Supreme Court on Monday managed a balancing act, allowing a chosen Hindu priest to continue to offer worship inside the cellar or *tekhana* on the Gyanvapi premises while Muslims used the mosque and the surrounding courtyard for performing *namaaz*.

A three-judge Bench of Chief Justice of India D.Y. Chandrachud found it "appropriate" to order the *status quo* in order to "enable both communities to offer religious worship".

"This way *namaaz* is offered on the premises of the mosque. The *tekhana* is safeguarded. The arrangement would be maintained between now and the trial," Chief Justice Chandrachud remarked



Police personnel deployed outside Gyanvapi Mosque and Kashi Vishwanath Temple. FILE PHOTO

orally. The court ordered that the *status quo* would not be disturbed by either contesting party.

The Hindu plaintiffs, represented by senior advocate Shyam Divan, claim that the entire area of the Gyanvapi mosque in Varanasi belonged to a temple of Swayambhu Lord Adi

the suit filed in a Varanasi court was only a ruse to encroach into the mosque land.

Legal battle

The mosque managers have been fighting a prolonged legal battle after the suit by the Hindus, who started out seeking a judicial declaration of their right to worship inside the mosque premises, followed by the "discovery" of a "Shivling". However, the Muslim side claimed the structure was a fountain. The courts had allowed carbon dating and a "scientific survey" of the structure.

Back-to-back orders by the Varanasi court had allowed Hindu religious rituals in a cellar of the mosque accessed through the southern side of the premises.

Vishweshwar since Satyug. They said the temple, which once stood on the Gyanvapi plot, was brought down by the "Farman of Emperor Aurangzeb in the year 1669".

Senior advocate Huzefa Ahmadi, for the mosque's management, Anjuman Itazamia Masjid, claimed

No coercive action over tax notices against Cong. in view of polls: I-T Dept.

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

Amidst allegations of "tax terrorism", the Income Tax Department on Monday stated in the Supreme Court its resolve not to take any "coercive steps" against the Congress on tax demands of approximately ₹3,500 crore raised in March, in view of the Lok Sabha election.

At the very outset of the hearing before a Bench headed by Justice B.V. Nagarathna, Solicitor-General Tushar Mehta stated that "since election is going on, we do not want any problem to arise for any political party... We will not take any coercive steps till the case is heard again on July 24, 2024".

"He [Mehta] has rendered me speechless..." senior advocate A.M. Singh-

Poll respite

I-T Dept. submits in SC that the Congress need not have any apprehensions over tax demands till July due to upcoming polls

■ Total tax demand made of Congress amounts to ₹3,567 crore

■ In the latest notice, tax demand raised was ₹1,745 crore for 2014-15 to 2016-17

■ Tax authorities have already withdrawn ₹135 crore from the party's accounts for other years

■ Relief comes after party lost its appeal before I-T Appellate Tribunal and Delhi High Court



vi, for the Congress, reacted to the unexpected turn of events.

Mounting trouble

Trouble had been mounting for the Congress with fresh notices from the Income Tax Department raising a tax demand of ₹1,745 crore for the assessment years 2014-15 to 2016-17.

"He [Mehta] has rendered me speechless..." senior advocate A.M. Singh-

With the latest notice, the department had raised a total tax demand of ₹3,567 crore from the Congress.

The authorities had ended the tax exemption available to political parties and had taxed the party for gross receipt based on a Delhi High Court order of March 2016.

The Congress has chal-

lenged the High Court order that gross receipt was taxable.

"Gross receipt is never taxable. Only total income is taxable. We are a political party, not a profit-making organisation," Mr. Singhvi argued. He raised the issue that Section 13A of the Income Tax Act provided tax exemption to political parties.

Mr. Mehta said the total of over ₹3,500 crore was a "block assessment" of the past seven years. This was excluding the ₹135 crore recovered from the party through attachment. He said the department had willingly made the "concession" to avoid coercive measures in view of the prevailing circumstances of the elections.

THE BIGGER ISSUE
» PAGE 4

PMLA - एक कानून जो अपना रास्ता खो चुका है (GS PAPER III: आंतरिक सुरक्षा)

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम का सबसे गंभीर पहलू उन अपराधों को शामिल करना है जिनका मूल उद्देश्य से कोई लेना-देना नहीं है - अर्थात्, ड्रग मनी की लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना।

- धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 एक विशिष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था।
- अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न काले धन के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करना था।
- इस काले धन ने विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया।
- यह समझ बढ़ती जा रही थी कि नशीली दवाओं के व्यापार से प्राप्त काला धन, जब वैध अर्थव्यवस्था के साथ मिलाया जाता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है।



मुख्य अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न: दुनिया के दो सबसे बड़े अवैध अफ्रीम उत्पादक राज्यों से भारत की निकटता ने उसकी आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों जैसे बंदूक चलाना, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी के बीच संबंधों की व्याख्या करें। इसे रोकने के लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए? (250 शब्द/15 अंक) (यूपीएससी 2018)

- इसके अतिरिक्त, यह माना गया कि यह स्थिति राष्ट्रों की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है।

कानून की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है

- संयुक्त राष्ट्र ने मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन बुलाकर संबोधित किया 1988 में स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार।
- जवाब में, सात प्रमुख औद्योगिक देशों ने 1989 में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) का गठन किया मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)

- **स्थापना:** 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन द्वारा स्थापित मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां विकसित करना।
- **शासनादेश:** अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य खतरों से निपटने के उपायों को बढ़ावा देता है।
- **सदस्यता:** अपने मूल 16 सदस्यों से बढ़कर इसमें 200 से अधिक क्षेत्राधिकार शामिल हो गए हैं।
- **FATF सिफारिशें:** FATF के कार्य की आधारशिला। 40 (मूल रूप से) सिफारिशों का एक सेट, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए देशों द्वारा लागू किए जाने वाले उपायों की रूपरेखा दी गई है और बाद में आतंकवादी वित्तपोषण को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया।
- **अनुपालन और निगरानी:** FATF सहकर्मी समीक्षाओं ("पारस्परिक मूल्यांकन") के माध्यम से सदस्य देशों की प्रगति की निगरानी करता है।
- **ब्लैकलिस्ट और ग्रेलिस्ट :** FATF कमजोर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण (सीएफटी) व्यवस्था वाले क्षेत्राधिकारों की पहचान करता है।
 - **काली सूची (कार्रवाई के आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्र):** गंभीर रणनीतिक कमियों वाले देश।
 - वर्तमान में, केवल डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके), ईरान और म्यांमार ही इस सूची में हैं। इन देशों को गंभीर रणनीतिक कमियां माना जाता है और FATF अपने सदस्यों से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए जवाबी उपाय लागू करने का आह्वान करता है।
 - **ग्रेलिस्ट (बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार):** देश अपने एएमएल/सीएफटी सिस्टम में कमियों को दूर करने के लिए FATF के साथ काम कर रहे हैं।
 - **ग्रेलिस्ट (बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार):** फरवरी 2024 तक, ग्रेलिस्ट में 21 देश हैं। ये देश अपने एएमएल/सीएफटी शासन में पहचानी गई कमजोरियों को दूर करने के लिए FATF के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। यहां एक सूची है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह बदल सकता है:
 - बुल्गारिया
 - बुर्किना फासो
 - कैमरून
 - क्रोएशिया
 - कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
 - जिब्राल्टर
 - हैती

- जमैका
- केन्या
- माली
- मोज़ाम्बिक
- नामिबिया
- नाइजीरिया
- फिलिपींस
- सेनेगल
- दक्षिण अफ्रीका
- दक्षिण सूडान
- सीरिया
- तंजानिया
- टर्की
- युगांडा
- संयुक्त अरब अमीरात (हाल ही में फरवरी 2024 में ग्रे सूची से हटा दिया गया)
- वियतनाम
- यमन

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 में राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम को अपनाया, सदस्य देशों से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कानून बनाने का आग्रह किया गया।
- भारत ने अपना कानून बनाने के लिए FATF की सिफारिशों का इस्तेमाल किया, जिसके परिणामस्वरूप 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) आया।
- संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और FATF की सिफारिशों के फोकस को दर्शाते हुए, PMLA ने मुख्य रूप से ड्रग मनी की लॉन्ड्रिंग को लक्षित किया।
- इस अधिनियम में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में उल्लिखित अपराध शामिल थे।
- PMLA समय के साथ संशोधनों के माध्यम से विकसित हुआ, जो ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग पर अपने मूल फोकस से भटक गया।
- रोकथाम अधिनियम (PMLA) "अपराध आय" की लॉन्ड्रिंग को लक्षित करता है, जिसमें आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन शामिल है।
- अपराध में सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों, साथ ही बाद में लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों को इस कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
- हालाँकि, PMLA में अब अपनी अनुसूची में अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो इसके मूल उद्देश्य से परे है, जो ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग से असंबंधित अपराधों तक फैली हुई है।
- इसके विस्तारित दायरे के बावजूद, PMLA का मूल उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय दवा व्यापार से अवैध धन के शोधन से उत्पन्न महत्वपूर्ण खतरे को संबोधित करने में निहित है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने और राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता करने की क्षमता है।

PMLA का अधिनियम

- धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को भारत की संसद द्वारा अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो कानूनों को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 253 ऐसे कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय निर्णय की विषय वस्तु तक सीमित करता है, जैसा कि संविधान की संघ सूची के आइटम 13 में निर्दिष्ट है।
- मूल रूप से, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार, PMLA ने मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया।
- हालाँकि, PMLA में संशोधन ने इसके दायरे का विस्तार किया, जिसमें नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों से परे अपराध शामिल हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में सूचीबद्ध या विशेष कानूनों द्वारा कवर किए गए अपराध।
- उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, जिसका उद्देश्य लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार को संबोधित करना था, को 2009 में PMLA की अनुसूची में जोड़ा गया था।
- PMLA के तहत, आरोपी व्यक्तियों को निर्दोष साबित होने तक दोषी माना जाता है, जो एंग्लो-सैक्सन न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के विपरीत है।
- PMLA में जमानत प्रावधान आरोपी व्यक्तियों के लिए जमानत प्राप्त करना कठिन बना देते हैं, क्योंकि न्यायाधीश केवल तभी जमानत दे सकते हैं यदि वे आरोपी की बेगुनाही के बारे में आश्वस्त हों, जिससे बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सके।

जमानत प्रावधान

- धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अधिनियम, धारा 45 के जमानत प्रावधान का वर्तमान भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव है।
- शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इसे असंवैधानिक माना था अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के लिए निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ (2018)।
- खानविलकर के नेतृत्व वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा। विजय मदनलाल चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2022)।
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह प्रावधान उचित है और PMLA अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना और अर्थव्यवस्था को अस्थिरता से बचाना है।
- अधिनियम के मूल उद्देश्य के बावजूद, इसकी अनुसूची में कम गंभीर अपराध शामिल हैं, यह निर्णय विधायी नीति क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है।
- 1978 में न्यायमूर्ति वीआर कृष्णा अय्यर द्वारा निर्धारित परिप्रेक्ष्य से अलग है।
- न्यायमूर्ति अय्यर ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया और जमानत निर्णयों के संबंध में क्यूरियल शक्ति के सतर्क और न्यायिक अभ्यास का आग्रह किया।
- खानविलकर तक जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का विकास एक महत्वपूर्ण यात्रा को दर्शाता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न: GS PAPER III: आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न: चर्चा करें कि उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत उपाय। (150 शब्द/10 अंक) (यूपीएससी 2021)

उत्तर दृष्टिकोण

- उभरती प्रौद्योगिकियों और वैश्वीकरण से परिचय कराएँ जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।
- फिर ऐसी प्रत्येक प्रमुख तकनीक और उसके प्रभाव को अलग-अलग सामने लाएँ।
- फिर आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के उपाय लाएँ।

- एक सुझावात्मक नोट्स के साथ समापन करें।

उत्तर

उभरती प्रौद्योगिकियों और वैश्वीकरण ने मनी लॉन्ड्रिंग के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, जिससे दुनिया भर के अधिकारियों के लिए जटिल चुनौतियाँ पैदा हुई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध रूप से प्राप्त धन की उत्पत्ति को छुपाने की प्रक्रिया शामिल है, आमतौर पर इसे बैंकिंग हस्तांतरण या वाणिज्यिक लेनदेन के जटिल अनुक्रम से गुजारकर। यहां बताया गया है कि उभरती प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण इस समस्या में कैसे योगदान करते हैं:

- **डिजिटल मुद्राएँ:** बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकॉइन्स जैसी डिजिटल मुद्राओं के उदय ने मनी लॉन्ड्रिंग को अपनी अवैध गतिविधियों को छुपाने के लिए नए रास्ते प्रदान किए हैं। क्रिप्टोकॉइन्स की विकेंद्रीकृत प्रकृति अधिकारियों के लिए लेनदेन को ट्रैक करना और इसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान करना मुश्किल बना देती है।
- **ऑनलाइन बैंकिंग और भुगतान प्रणालियाँ:** ऑनलाइन बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों के प्रसार ने अपराधियों के लिए जल्दी और गुमनाम रूप से सीमाओं के पार धन ले जाना आसान बना दिया है। वर्चुअल बैंक और पीयर-टू-पीयर भुगतान प्लेटफॉर्म फंडों का पता लगाना और भी जटिल बना देते हैं, जिससे लॉन्ड्रिंग को नियामक ढाँचे में खामियों का फायदा उठाने की अनुमति मिलती है।
- **सीमा पार लेनदेन:** वैश्वीकरण ने सीमा पार लेनदेन की सुविधा प्रदान की है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग नियामक व्यवस्थाओं और न्यायक्षेत्रों में अंतर का फायदा उठाने में सक्षम हो गए हैं। ढीले धन शोधन रोधी कानूनों और प्रवर्तन तंत्र वाले देशों के बीच धन हस्तांतरित करना अधिकारियों के लिए अवैध वित्तीय गतिविधियों का पता लगाना और उन्हें रोकना चुनौतीपूर्ण बना देता है।
- **जटिल वित्तीय उपकरण:** डेरिवेटिव और ऑफशोर खातों जैसे जटिल वित्तीय उपकरणों का उपयोग, मनी लॉन्ड्रिंग को धन के स्रोत और गंतव्य को अस्पष्ट करने की अनुमति देता है। ये उपकरण मनी लॉन्ड्रिंग के स्तरीकरण और एकीकरण चरणों की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अवैध वित्तीय प्रवाह को उजागर करना मुश्किल हो जाता है।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए व्यापक उपायों की आवश्यकता है:

- **विनियामक ढाँचे को मजबूत करना:** सरकारों को विकसित होती वित्तीय प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण (सीटीएफ) नियमों को बढ़ाना चाहिए। इसमें अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) आवश्यकताओं को लागू करना, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग और ग्राहक के उचित परिश्रम के उपाय शामिल हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** मनी लॉन्ड्रिंग की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति को देखते हुए, अंतरराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। देशों को एएमएल/सीटीएफ मानकों में सामंजस्य स्थापित करने, खुफिया जानकारी साझा करने और सीमाओं पर प्रवर्तन कार्यों का समन्वय करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) जैसे संगठनों के माध्यम से सहयोग करना चाहिए।
- **उन्नत पर्यवेक्षण और प्रवर्तन:** वित्तीय नियामकों को वित्तीय संस्थानों की निगरानी बढ़ानी चाहिए और एएमएल/सीटीएफ नियमों का अनुपालन न करने पर कड़े दंड लगाने चाहिए। इसमें नियमित ऑडिट करना, नियामक उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाना और अनुपालन न करने वाली संस्थाओं के लाइसेंस रद्द करना शामिल है।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** सरकारों और वित्तीय संस्थानों को मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का पता लगाने और रोकने में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना चाहिए। उन्नत डेटा विश्लेषण वित्तीय लेनदेन में संदिग्ध पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करने में मदद कर सकता है, जिससे अधिकारियों को सक्रिय उपाय करने में मदद मिल सकती है।
- **सार्वजनिक निजी साझेदारी:** मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग आवश्यक है। वित्तीय संस्थानों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना चाहिए, जबकि सरकारों को सहयोग और सूचना साझा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।

इस प्रकार, उभरती प्रौद्योगिकियों और वैश्वीकरण का अभिसरण मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है। इस समस्या के समाधान के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें नियामक सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उन्नत पर्यवेक्षण, तकनीकी नवाचार और सार्वजनिक-निजी भागीदारी शामिल हो। केवल सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से ही हम मनी लॉन्ड्रिंग से प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा कर सकते हैं।

नो मैन्स लैंड: कच्चाथीवू पर राजनीति करना

सत्ता में बैठे लोगों को ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए जो पड़ोसियों के साथ संबंधों को प्रभावित करते हों

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों पर असर डालने वाले कच्चातिवु का मुद्दा उठाया था और आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने लापरवाही से इस द्वीप को दे दिया।
- जैसा कि विदेश मंत्रालय ने 2022 में कहा था, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार दोनों ने कच्चातिवु को श्रीलंका के हिस्से के रूप में मान्यता दी है।
- यूपीए सरकार ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया कि कोई भी भारतीय क्षेत्र श्रीलंका को नहीं सौंपा गया था, और कच्चाथीवू पर संप्रभुता 1974 और 1976 में समझौतों के माध्यम से तय की गई थी।
- रामनाथपुरम के राजा द्वारा संप्रभुता के शुरुआती दावों के बावजूद, ऐतिहासिक दस्तावेजों और समझौतों में कच्चातिवु को श्रीलंका का हिस्सा बताया गया है, जो भारत के दावे के लिए चुनौतियां खड़ी करता है।
- कांग्रेस और द्रमुक के आलोचक इस मामले से निपटने के उनके तरीके को चुनौती देने के लिए नेहरू की टिप्पणियों और विशेषज्ञों की राय का हवाला देते हैं, लेकिन आरटीआई दस्तावेज़ निर्णय के लिए एक ठोस आधार सुझाते हैं।
- हालांकि तमिलनाडु में राजनीतिक नेताओं के लिए कच्चाथीवू को पुनः प्राप्त करने की मांग करना आम बात है, लेकिन यह चिंताजनक है जब प्रधान मंत्री इस मुद्दे का राजनीतिकरण करते हैं, जो संभावित रूप से श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करता है।

सौर ऊर्जा: आयातित सौर पैनलों से दूर जाना

(GS Paper III)

भारत के सौर उद्योग को गुणवत्ता से समझौता किए बिना बढ़ना चाहिए

- भारत सरकार ने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आयातित सौर पैनलों पर निर्भरता को हतोत्साहित करने की नीति लागू की है।
- सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के स्वीकृत मॉडल और निर्माता (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2019 नामक नीति, मॉड्यूल निर्माताओं को 'अनुमोदित' निर्माताओं के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा निरीक्षण से गुजरने का आदेश देती है।

- अनुमोदित सूची में होने से कंपनियों को अपने परिसर के भीतर वैध रूप से सौर पैनलों का निर्माण करने के रूप में प्रमाणित किया जाता है, जिससे वे **पीएम सौर छत योजना** सहित सरकारी निविदाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो जाते हैं।
- इस सूची के निर्माण का **उद्देश्य तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के बीच चीन से आयात को प्रतिबंधित करना है**, जो वैश्विक आपूर्ति का लगभग 80% नियंत्रित करता है।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से लगभग 500 गीगावॉट, यानी अपनी बिजली की लगभग आधी आवश्यकता, सौर ऊर्जा से कम से कम 280 गीगावॉट प्राप्त करने का है।
- हालाँकि, **देश की सौर क्षमता वृद्धि धीमी रही है, पिछले पांच वर्षों में केवल 13 गीगावॉट जोड़ा गया है, जो कि COVID-19 महामारी जैसे कारकों के कारण है।**
- **लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, भारत को अपने घरेलू उद्योग की तुलना में अधिक पैनलों और घटक कोशिकाओं की आवश्यकता है, जिससे आयात पर महत्वपूर्ण निर्भरता बढ़ जाती है।**
- घरेलू पैनल निर्माता, जो प्रमाणन के लिए सरकार को भुगतान करते हैं, सस्ते चीनी पैनलों से हार जाते हैं।
- सरकार ने अनुमोदित सूची के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है लेकिन अब यह आदेश दिया है कि यह 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।
- सफलता इस बात से मापी जाएगी कि भारत अपनी 2030 की प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सौर ऊर्जा सस्ती रहे।
- **घरेलू निर्माताओं को कड़ी गुणवत्ता जांच से गुजरना चाहिए और केवल राष्ट्रवादी कारणों से लागत और गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिए।**
- जबकि भारतीय सौर उद्योग को विकसित होना चाहिए और गुणवत्ता के लिए प्रतिष्ठा हासिल करनी चाहिए, इस प्रयास में कोई आसान शॉर्टकट नहीं हैं।

चुनावों में एआई, अच्छा, बुरा और बदसूरत (GS PAPER III: एस एंड टी का उपयोग)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक अनुप्रयोग से चुनाव के लगभग हर पहलू में बदलाव आने की संभावना है

- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का आठ अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद करके उनके दर्शकों का विस्तार करना है।
- यह प्रयास आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों का हिस्सा है, जिसे संभवतः भारत का "पहला एआई चुनाव" माना जाता है।
- इस कार्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग किया जा रहा है, जो चुनावी प्रक्रिया में क्रांति लाने की इसकी क्षमता को उजागर करता है।
- एआई तकनीक भाषणों के कुशल अनुवाद की अनुमति देती है, जिससे मोदी के संदेश को व्यापक भाषाई दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिलती है।
- चुनावों में एआई के व्यापक अनुप्रयोग से एक महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है, जो चुनावी प्रचार में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक होगा।
- यह पहल चुनावों के दौरान प्रभावी संचार और पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की भाजपा की रणनीति को दर्शाती है।

सोशल मीडिया और अभियान

- उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकरण के कारण पिछले तीन दशकों में भारत की चुनावी रणनीति विकसित हुई है।
- उपयोग 1990 के दशक में व्यापक हो गया, जिसके बाद 2007 में उत्तर प्रदेश में पहला "सामूहिक मोबाइल फोन" चुनाव हुआ।
- 2014 के चुनावों में होलोग्राम का उपयोग किया गया, जो एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को दर्शाता है।
- वर्तमान युग की विशेषता चुनावी अभियानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का एकीकरण है।
- "सोशल मीडिया चुनाव" या "फेसबुक चुनाव" का खिताब मिला।
- भाजपा ने भारत की युवा आबादी से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया, जिससे महत्वपूर्ण डिजिटल खर्च हुआ।
- एशियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में प्रकाशित शोध में 2014 में फेसबुक लाइक और चुनाव परिणामों के बीच सकारात्मक संबंध दिखाया गया है।
- ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफार्मों पर शीर्ष वैश्विक नेताओं में शुमार हो गए।
- आम चुनाव को भारत में "पहला व्हाट्सएप चुनाव" करार दिया गया, जो राजनीतिक संदेशों को फैलाने में मंच की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
- व्हाट्सएप का उपयोग नाइजीरिया, ब्राजील और कई भारतीय राज्यों सहित विश्व स्तर पर चुनावों में सूचना प्रसारित करने और पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए किया गया है।
- व्हाट्सएप की प्रभावशीलता मतदाताओं को लक्षित जानकारी देने और पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित करने की क्षमता में निहित है, जैसा कि शिवम शंकर सिंह की पुस्तक, "हाउ टू विन एन इंडियन इलेक्शन" (2019) में बताया गया है।

वैश्विक चुनाव, एआई, खतरे

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग के कारण 2024 के वैश्विक चुनावों को "एआई चुनाव" करार दिया गया है।
- जनवरी में, न्यू हैम्पशायर में मतदाताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का रूप धारण करके रोबोकॉल प्राप्त हुए, जिसका उद्देश्य डेमोक्रेटिक मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर जाने से रोकना था।
- इसी तरह, सितंबर 2023 में स्लोवाकिया के संसदीय चुनावों में एक बातचीत की फर्जी रिकॉर्डिंग फेसबुक पर साझा की गई थी, जिसमें कथित तौर पर चुनाव में हेरफेर के तरीकों पर चर्चा की गई थी।
- अर्जेंटीना के चुनावों में डीपफेक जैसी एआई-जनित सामग्री का उपयोग देखा गया अक्टूबर-नवंबर 2023 में।
- मध्य प्रदेश और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में भी डीपफेक का इस्तेमाल किया गया, जहां गेम शो "कौन बनेगा करोड़पति" के छेड़छाड़ किए गए क्लिप और नेताओं के फर्जी वीडियो प्रसारित किए गए।
- एआई बॉट्स द्वारा संचालित नकली खातों का उपयोग विशिष्ट संदेशों को बढ़ाने और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कृत्रिम रुझान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
- यह हेरफेर विशेष राजनेताओं या विषयों के लिए व्यापक समर्थन की गलत धारणा बनाता है, जिससे जनता की राय प्रभावित होती है।
- एआई तकनीक अब सोशल मीडिया के साथ गहराई से एकीकृत हो गई है, जो इसे चुनावों में राजनीतिक प्रभाव के लिए एक शक्तिशाली उपकरण में बदल रही है।

राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है


- चुनावों में एआई की भूमिका दुष्प्रचार फैलाने से लेकर विभिन्न अभियान रणनीतियों तक फैली हुई है।
- यह मतदाता पहचान, सामग्री विकास, वितरण और अभियान प्रदर्शन पर वास्तविक समय विश्लेषण में सहायता करता है।
- एआई की डेटा-संचालित और सूक्ष्म-लक्ष्यीकरण रणनीति राजनीतिक अभियानों में क्रांति ला रही है।
- उद्भव 2024 के चुनावों के लिए क्षमता और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है।
- अमेरिकी सरकार ने बिडेन रोबोकॉल जैसी घटनाओं के जवाब में एआई-जनरेटेड रोबोकॉल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- **माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपनएआई और मेटा** जैसे तकनीकी दिग्गज मतदाताओं को धोखा देने के उद्देश्य से एआई सामग्री का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- मतदाताओं को रोकने या उम्मीदवारों के चित्रण में हेरफेर करने के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले प्रयासों को आकार देने वाली एआई-जनित सामग्री के संबंध में चिंताएं मौजूद हैं।
- एक **AI-निर्मित छवि हाल ही में वायरल हुई**, चुनावों पर एआई हेरफेर के संभावित प्रभाव पर प्रकाश डाला गया।
- 2029 तक एआई के और अधिक कुशल होने की उम्मीद है, लेकिन इसके भ्रामक प्रभावों और उनसे निपटने के लिए दुनिया की तैयारियों के बारे में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।

एक भाषण जिसने भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया (GS PAPER II: परमाणु निरस्त्रीकरण, स्वतंत्रता के बाद का भारत, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता)

सत्तर साल पहले, लोकसभा में एक भाषण के साथ, नेहरू ने नेतृत्व के लिए भारत के दावे को मजबूत किया, उन आह्वानों को गति दी जिससे अंततः आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई, और तर्कसंगत रूप से क्षैतिज परमाणु प्रसार सीमित हो गया।

- 2 अप्रैल, 1954 को प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया।
- यह भाषण पिछले महीने अमेरिका के 'कैसल ब्रावो' थर्मोन्यूक्लियर परीक्षण से प्रेरित था।
- 'कैसल ब्रावो' एक अत्यंत शक्तिशाली परीक्षण था जिसने माप उपकरणों को अभिभूत कर दिया।
- नेहरू ने 'कैसल ब्रावो' के जवाब में परमाणु परीक्षण पर "स्थायी समझौते" का आह्वान किया।
- राष्ट्र-निर्माण चुनौतियों का सामना करने वाले एक नव उपनिवेशित राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति और शक्ति के पारंपरिक मार्करों की कमी के बावजूद, नेहरू ने भारत की वैश्विक स्थिति पर जोर दिया।
- नेहरू के भाषण में व्यावहारिकता, दूरदर्शिता और आत्म-आश्वासन का प्रदर्शन हुआ।
- उन्होंने लगातार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर परमाणु परीक्षण पर रोक की वकालत की।
- नेहरू के नेतृत्व ने आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (पीटीबीटी) के अंतिम निर्माण में योगदान दिया।
- पीटीबीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों को अस्वीकार्य के रूप में वर्गीकृत करके क्षैतिज परमाणु प्रसार को सीमित करना है।

- आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (पीटीबीटी),



Participation in the Partial Test Ban Treaty

- | | |
|---|---|
| ■ Signed and ratified | ■ Only signed |
| ■ Acceded or succeeded | ■ Non-signatory |

- इसे 1963 की संधि के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियार परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसने देशों को हवा, पानी के नीचे या अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों का परीक्षण करने से रोक दिया था।
- इसने भूमिगत परीक्षण जारी रखने की अनुमति दी क्योंकि इसका पता लगाना कठिन था और इससे पर्यावरणीय क्षति कम होती थी।
- भले ही इसने देशों को परमाणु हथियार बनाने या उनका परीक्षण करने से पूरी तरह नहीं रोका, लेकिन इस संधि से हवा में खतरनाक विकिरण की मात्रा में कमी आई।
- पीटीबीटी पर पहली बार 1963 में सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह उसी वर्ष बाद में प्रभावी हुआ।
- समय के साथ, 123 अन्य देश इस संधि में शामिल हो गए, और हवा, पानी के भीतर या अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करने पर सहमति व्यक्त की।
- हालाँकि, अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर तो कर दिए हैं लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इसका पालन करने पर सहमति नहीं जताई है।

ठहराव समझौता

- नेहरू के स्टैंडस्टिल समझौते ने शीत युद्ध के दौरान परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए एक वृद्धिशील दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा।
- प्रस्ताव में चार मुख्य तत्व थे:
 1. **तत्काल स्थगन** परमाणु परीक्षण पर.
 2. **संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग** से आग्रह निरस्त्रीकरण के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों लक्ष्यों को संबोधित करना।
 3. **परमाणु हथियारों के प्रभाव पर अधिक खुलासे की** वकालत परमाणु संपन्न देशों पर जनता का दबाव बनाना।
 4. **सभी देशों से परमाणु हथियारों से उत्पन्न वैश्विक खतरे को पहचानने का आह्वान।**
- नेहरू की पहल का उद्देश्य **निरस्त्रीकरण को एक वैश्विक मुद्दा बनाना था** इसे संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग तक सीमित रखने के बजाय।
- भारत के प्रस्ताव ने प्रभावी ढंग से परमाणु-सशस्त्र देशों को सतर्क कर दिया, उनसे अपने परीक्षणों से उत्पन्न खतरे को स्वीकार करने और पारदर्शिता की मांग करने का आग्रह किया।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रयास जारी रखे, जिसमें 1955 में परीक्षण रोकने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करना और निरस्त्रीकरण आयोग को प्रगति रिपोर्ट भेजना शामिल था।

- नेहरू ने 1954 में परमाणु ऊर्जा और परमाणु विस्फोट प्रभावों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया था।
- 1956 में दिल्ली में पहली पगवॉश बैठक की योजनाएँ चल रही थीं, लेकिन स्वेज़ संकट और हंगेरियन क्रांति जैसी भू-राजनीतिक घटनाओं ने हस्तक्षेप किया।

नैतिक बल

- 1954 में भारत ने गरीब और कमजोर होते हुए भी परमाणु निरस्त्रीकरण में सक्रिय भूमिका निभाई।
- **बांडुंग सम्मेलन** की तरह भारत को गुटनिरपेक्ष देशों से समर्थन की कमी थी अभी तक नहीं हुआ था।
- नेहरू ने सैन्य सीमाओं के बावजूद इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए वैश्विक मामलों में भारत की नैतिक शक्ति पर जोर दिया।
- निरस्त्रीकरण पर भारत का रुख हथियारों की दौड़ पर विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता से प्रेरित था।
- **1948 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम** संभावित हथियारों के विकास के लिए योजना भी प्रदान करते हुए, भारत के परमाणु कार्यक्रम को जल्द करने की अनुमति दी गई।
- हालाँकि नेहरू ने परमाणु हथियारों के विकास का स्पष्ट समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसे हतोत्साहित भी नहीं किया, जैसा कि होमी भाभा की भागीदारी से पता चलता है।
- लोकसभा में नेहरू के भाषण ने **1963 में भारत द्वारा हस्ताक्षरित आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (पीटीबीटी) में भारत की भूमिका के लिए आधार तैयार किया।**
- परमाणु विकिरण के प्रभावों और परमाणु हथियारों के खिलाफ लामबंदी पर अधिक जानकारी के लिए भारत के आह्वान ने परमाणु उपयोग के खिलाफ वैश्विक मानदंडों में योगदान दिया।
- भाषण ने तर्क और नैतिकता की आवाज के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाया, जो नेहरू के "शांति और दुनिया की भलाई के लिए शक्ति" होने के दृष्टिकोण के अनुरूप था।